राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 29.03.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु व्यापक लोक हित में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में सम्पूर्ण लोक डाउन के साथ ही कई जिलों/क्षैत्रों कर्फ्यू भी लगाया गया है जिसके कारण नियमित रूप से दवा लेने वाले मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। ऐसे मरीजों की समस्या के समाधान के लिए एक राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के कार्यालय में स्थापित किया जाता है। जो सुबह 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य करेगा।

मरीज नियंत्रण कक्ष के नंबर (0141–2228600 या ईमेल– pharmacycouncilrajasthan@gmail.com) पर सम्पर्क करेगा तथा जहां से उसे उसके निवास के निकटतम दवा की दुकान/फर्म का मोबाइल नंबर (व्हाट्एप नम्बर) उपलब्ध कराया जायेगा। उस नम्बर पर सम्बन्धित मरीज द्वारा चाही गई दवा का पर्चा व्हाट्सएप पर भेजा जायेगा तथा वह औषधि विक्रेता उन दवाओं को रोगी के पते पर बिल के साथ वितरित करेगा।

नियंत्रण कक्ष रोजाना खुलेगा जिसमें राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल के कर्मचारी कार्यरत रहेगें तथा उपयुक्त नियंत्रण हेतु श्री राजकमल छीपा, सहायक औषधि नियंत्रक(मो. 9462690790) को नियंत्रणाधिकारी लगाया जाता है। श्री छीपा दवा वितरण में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगें तथा प्रतिदिन राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करेगें।

29/03/20
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
5. समस्त जिला कलक्टर, राज को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने अपने जिलों में भी सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था करावें।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. औषधि नियंत्रक–प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि समस्त जिलो में सहायक औषधि नियंत्रक/ औषधि नियंत्रण अधिकारी कार्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए समस्त जिलों के हेल्पलाईन नम्बर इस विभाग को आज ही उपलब्ध करावें।
9. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार, राजस्थान फार्मेसी कौन्सिल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नियंत्रण कक्ष के संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्था करते हुए हैल्पलाईन के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करावें।
10. समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों/ औषधि नियंत्रण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जयपुर जिला केमिस्ट एसोशिएशन एवं अन्य जिलो के केमिस्ट एसोशिएसन को प्रेषित कर लेख है प्रकरण में अपने स्तर से समस्त औषधि विक्रेताओं से सहयोग किया जाना सुनिश्ति करावें तथा दवाओं की आपूर्ति करावें।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
13. जयपुर जिला
14. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 29.3.20
शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner